



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय,
CMS Office,
मंडल रेल अस्पताल, राजकोट।
Divisional Railway Hospital, Rajkot.

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

No MD/173 /1/DRM/RJT/24-25/01 Date: 20-05-2024.

कार्यालय का पता: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल पश्चिम रेलवे, कोठी परिसर जामनगर रोड,
राजकोट-360001।

निविदा संख्या. MD/173/1/DRM/RJT/2024-25

कार्य का नाम : राजकोट मंडल :

कार्य का नाम: राजकोट मंडल, राजकोट मंडल और पश्चिम रेलवे के अन्य मंडलों के सेवानिवृत्त और सेवारत रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों की विभिन्न जांचों/परीक्षणों, रक्त खरीद के लिए रेलवे के साथ निजी प्रयोगशालाओं/अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों का नया गठजोड़। मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट में अस्पताल के लिनन की सफाई और सफाई। यह मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट के संबंधित रेलवे चिकित्सा प्राधिकरण से नियमित रेफरल है। जांच/परीक्षण निम्नलिखित स्थानों पर किए जाने की आवश्यकता है।

- (i) राजकोट में पैथोलॉजिकल जांच:
- (ii) राजकोट में शारीरिक जांच:
- (iii) राजकोट में आरटी-पीसीआर कोविड-19 जांच:
- (iv) राजकोट में आपात स्थिति में रेलवे रोगियों और लाभार्थियों के लिए रक्त और रक्त उत्पादों की खरीद
- (v) सुरेंद्रनगर में पैथोलॉजिकल जांच,
- (vi) द्वारला/ओखा में पैथोलॉजिकल जांच
- (vii) राजकोट में अस्पताल के लिनन की सफाई।

सभी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए शुल्क एनएबीएच/गैर-एनएबीएच के लिए सीजीएचएस दरों (अहमदाबाद 2014 दर सूची में दर्शाई गई प्रक्रियाओं के लिए या कम दरों/कम प्रतिस्पर्धी) के बराबर या उससे कम होगा। इच्छुक निजी अस्पताल प्रक्रियाओं/जांच सूची के लिए अपना दर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।


निजी अस्पतालों को रेलवे के मरीजों के लिए आवश्यक जांच/प्रक्रिया करनी होगी। ऐसी जांच/प्रक्रियाओं की सूची एक सप्ताह के बाद रेलवे अस्पताल, राजकोट से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल, पश्चिम रेलवे, कोठी कंपाउंड जामनगर रोड, राजकोट -360001) से एकत्र किए जा सकते हैं, और 10-06-2024 से पहले सीलबंद लिफाफे में वापस जमा कर सकते हैं।

अनुबंध की अवधि: **तीन साल।**

उपरोक्त कार्य में रुचि रखने वाले निजी प्रयोगशालाएं / संस्थान अस्पताल / लिनन ठेकेदार तुरंत सीएमएस कार्यालय, मंडल रेलवे अस्पताल, कोठी कंपाउंड, राजकोट को इच्छा पत्र भेजें। प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी इन निजी संस्थानों/अस्पतालों/प्रयोगशालाओं का उनके बुनियादी ढांचे/जनशक्ति/प्रदान की गई गुणवत्ता आदि की जांच के लिए निरीक्षण करेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच/1/11/69 अस्पताल मान्यता दिनांक 23-12-2016 के अनुसार चयनित निजी अस्पताल और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

चयनित अस्पताल/संस्थान/लिनन ठेकेदार को रेलवे के साथ 36 महीने के लिए 50 हजार रुपये की राशि परफॉर्मेंस गारंटी (पीजी) जमा करनी होगी।


अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
Chief Medical Superintendent,
पश्चिम रेलवे-राजकोट,
W. Rly. Rajkot